



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1943 (श10)  
(सं0 पटना 812) पटना, सोमवार, 27 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2021

एस0 ओ0 133, दिनांक 27 सितम्बर 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियमावली, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम 29 अगस्त, 2021 की तारीख से प्रवृत्त माने जायेंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,-

(i) नियम 26 के उपनियम (1) में,-

(क) चौथे परंतुक में, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 अक्टूबर, 2021" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

- (ख) 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;
- (ii) 1 मई, 2021 से, नियम 138ड में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 “परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।”;
- (iii) प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में,-  
 (क) “आपका रजिस्ट्रीकरण” शब्दों के पश्चात्, “आदेश प्रतिनिर्देश सं. ...., तारीख ..... द्वारा,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;  
 (ख) “क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा;  
 (ग) अंत में, “पदनाम” के पश्चात्, “पता” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1974)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
 MKNE ifrek  
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

### 27 सितम्बर 2021

एस० ओ० 133, दिनांक 27 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1974)]  
 बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
 डॉ० प्रतिमा,  
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

### 27th September 2021

S.O. 133, Dated 27th September 2021—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 29<sup>th</sup> day of August, 2021.

**2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, —**

(i) **in sub-rule (1) of rule 26,-**

- (a) in the fourth proviso, for the figures, letters and words “31<sup>st</sup> day of August, 2021”, the figures, letters and words “31<sup>st</sup> day of October, 2021” shall be substituted;
- (b) with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2021, all the provisos shall be omitted;

(ii) with effect from the 1<sup>st</sup> day of May, 2021, in rule 138E, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the 1<sup>st</sup> day of May, 2021 till the 18<sup>th</sup> day of August, 2021, in case where the return in **FORM GSTR-3B** or the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or the statement in **FORM GST CMP-08**, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.”;

(iii) **in FORM GST ASMT-14, -**

- (a) after the words, “with effect from -----”, the words, “vide Order Reference No. -----, dated -----” shall be inserted;
- (b) the words, “for conducting business without registration despite being liable for registration” shall be omitted;
- (c) at the end after “Designation”, the word “Address” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 1974]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 812-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>